



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

Rajasthan Staff Selection Board

Agriculture Campus, Durgapura, Jaipur, Rajasthan, 302018



<https://rsmssb.rajasthan.gov.in>

secyrsmssb@rajasthan.gov.in

<https://rspb.rajasthan.gov.in>

+91-141-2722520

क्रमांक: प.14(159)RSSB/अर्थना/प्र.सु.वि/च.श्रे.क./ भर्ती / 2024 /

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024

बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में कुल 53750 पदों पर लगभग 02 गुणा (क्षैतिज श्रेणी में 5 से 10 गुणा) अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। इन अभ्यर्थियों से विस्तृत ऑनलाईन आवेदन सह परिनरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भरने हेतु दिनांक 09.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 तक लिंक खोला गया है। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी <http://sso.rajasthan.gov.in> पर विस्तृत आवेदन सह परिनरीक्षा फार्म (Detailed form Cum Scrutiny Form) को मय आवश्यक दस्तावेज के साथ भरा जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद विस्तृत ऑनलाईन आवेदन भरने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा।

पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विभाग एवं बोर्ड की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें।

सचिव

क्रमांक: प.14(159)RSSB/अर्थना/प्र.सु.वि/च.श्रे.क./ भर्ती / 2024 /

दिनांक : यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रति प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राजस्थान राज्य के प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के समस्त नवीनतम संस्करणों में प्रकाशित करवाकर बिल भुगतान हेतु बोर्ड को प्रेषित करने का श्रम करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. अनुभाग, RSSB, जयपुर को प्रेस विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

सचिव



RajKaj Ref No.:
20366532

eSign 1.0

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश

(आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें)

1. **आवेदन-पत्र शुल्क:-** अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन-पत्र शुल्क हेतु तदनुरूप भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न करें।
2. **आवेदन-पत्र भरना:-** आवेदक आवेदन-पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।

नोट :-आवेदक आवेदन-पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन-पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट-छाँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन-पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन-पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) व विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो (विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात् का खिंचा हुआ) निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवस्था में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन-पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत् भरा हुआ निर्धारित आवेदन-पत्र, नवीनतम फोटो, आदि के साथ बोर्ड द्वारा निर्देशित कार्यालय में निर्धारित तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संदर्भ हेतु भरे हुए आवेदन-पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।

3. **प्रमाण-पत्र:-** समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां (शैक्षणिक/आयु/आचरण/जाति/निःशक्ता, वैवाहिक स्थिति, भुतपूर्व सैनिक, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण-पत्र आदि) इस विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां निम्न क्रमानुसार आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें:-

(क) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र:- (1) आपको अपनी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता की अंक-तालिकाओं के साथ-साथ प्रमाण-पत्रों/उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियां भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा, जो आपने उत्तीर्ण की है, की उपाधि प्राप्त नहीं हो, तो संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

नोट:-यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र-3 प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।

(ख) आयु का प्रमाण-पत्र:-

(1) साधारणतया बोर्ड हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी के प्रमाण-पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवेदक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल/सैकण्डरी/हायरसैकण्डरी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, फार्म के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में बोर्ड विद्यालय के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। इसके लिये आवेदक को चाहिये कि वह अपने विद्यालय के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका में दी हुई आयु को प्रमाणित कराकर उद्धृत कर सकता है।

(2) यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का, यथा राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/विशेष योग्य व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ भेजें, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

आयु संबंधी सामान्य नियम

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञापित में देखा जा सकता है।
2. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किये जाएंगे।
3. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद/वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात् उसे उस वर्ग में पुरुष को देय छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।
4. आयु की गणना सामान्यतः विज्ञापित के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी।
5. उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी(Non Cumulative) है, अर्थात्

अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

6. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। (यह छूट विज्ञप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य)

(ग) **आचरण संबंधी प्रमाण-पत्र :-** अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें-

नोट:- स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।

(घ) **जाति प्रमाण-पत्र :-** जो आवेदक राजस्थान की किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा :-

- District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (Not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
- Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).

नोट:- (अ) सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ब) जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि

- निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन-पत्र पर आवेदन करना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
- प्रमाण पत्र नियमानुसार माता-पिता की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता-पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(ड.) **विशेषयोग्य प्रमाण-पत्र:-** यदि आवेदक विशेषयोग्य व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेषयोग्य का प्रमाण-पत्र संलग्न कर अवश्य भेजे, अन्यथा आयोग द्वारा उसे विशेषयोग्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक निःशक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कोड भरें-

विशेषयोग्य श्रेणी	दृष्टिबाधित (A)			मूक बधिर (B)		LD/CP (C)							MI/MD (D)
विशेषयोग्य उपश्रेणी	पूर्णतः अंध	अंशतः अंध	कमजोर दृष्टि	पूर्णतः	अंशतः	दोनों पैर	दोनों हाथ	हाथ पैर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों नितंब	मांसपेशीय दुर्बलता	मानसिक रूपणता/ बहुविकलांगता
विशेषयोग्य कोड	01	02	03	01	02	01	02	03	04	05	06	07	

(च) **अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र :-** आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।

(छ) **विवाह संबंधी प्रमाण-पत्र :-** आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करे।

4. **सेवारत अभ्यर्थी**— जो आवेदक सेवारत है (स्थाई हो या अस्थाई) उन्हें अपना आवेदन-पत्र सीधे ही बोर्ड कार्यालय को भेजना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन-पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक के बाद पहुंचता है तो उस प्रार्थना-पत्र पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। भले ही आवेदक ने प्रार्थना-पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अन्तिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत किया हो।
5. **राष्ट्रीयता** :— (क) भारत का नागरिक या (ख) सिविकम या (ग) नेपाल या (घ) भूटान का प्रजाजन या (ङ) दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या (च) स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति। नोट:— वर्ग (ग), (घ), (ङ) व (च) से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत-सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
6. आवेदक को आवेदन-पत्र के साथ कोई भी मूल प्रमाण-पत्र नहीं भेजना चाहिए, जब तक कि बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसी मांग नहीं की जाती, अन्यथा किसी के मूल प्रमाण-पत्र को वापस लौटाने का दायित्व बोर्ड का नहीं होगा।
7. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।
8. बोर्ड किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राजकीय सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा— आयु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी स्वयं विज्ञप्ति के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।
9. आवेदक को उसके आवेदन-पत्र के अन्तिम परिणाम को चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, बोर्ड द्वारा उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र-व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
10. यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
11. उक्त रिक्ति व नियुक्ति नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।
12. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
13. यदि आवेदक के पते में परिवर्तन हो तो बोर्ड कार्यालय को अवश्य सूचित करें। बोर्ड कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र मंगवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. किसी सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता कम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाये जा सकते हैं, इसके लिये संबद्ध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लें।

चरित्र प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नीनिवासी
.....को मैं
व्यक्तिगत रूप से माह/वर्षों से जानता/जानती हूँ तथा जहाँ तक मेरी जानकारी है
इनका नैतिक चरित्र उत्तम है।

दिनांक हस्ताक्षर

(कार्यालय की मुहर सहित)

सामान्य घोषणा पत्र
(50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.. रोल नं. एवं आवेदन क्रमांक..... है। **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024** में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

मैं शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ : -

1. कि मैं राजस्थान में **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024** हेतु अपेक्षित तथा उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता/रखती हूँ। मुझे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है।
2. कि मेरे द्वारा योग्यता/अर्हता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता के अनुरूप है।
3. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही है एवं मिथ्या/जाली/नकली/गलत तरीके से तैयार करा कर प्रस्तुत नहीं किये गये है।
4. कि मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी थानाक्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है न ही मेरे विरुद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लंबित है। मेरे विरुद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लंबित है।
5. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते हैं, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar)किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

नाम

पता.....

.....

मोबाईल नं.....

ईमेल

संतान संबंधी घोषणा पत्र
सामान्य कागज पर

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)(कार्मिक)क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... रोल नं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ/हुई हूँ :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्याथी।

क्र.सं.	नम	जन्मतिथि

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

3. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्याहै।

क्र.सं.	नम	जन्मतिथि

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पद : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक व मोहर के

रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

.....निवासी.....

..... शपथ पूर्वक
घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो
दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं
ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति
समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थीया जिम्मेदार
रहूंगा/रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के
भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पत्नी और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव
की घोषणा प्रस्तुत करूंगा/करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं
लिया है।

(F.4(2)Karmik/A-III/76 dated 05.01.77)

(नाम-.....
)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रू. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला

घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी.....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनन्तिम (Purely Provisional
) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ है। विवाह के समय मेरे घरवालों ने ना तो दहेज
लिया है / ना ही दहेज दिया। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल
पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये
जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी/प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

अभ्यर्थी के पिता :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

अभ्यर्थी के श्वसुर :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

अभ्यर्थी की पत्नी /पति :स्वतंत्र साक्षी :

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रू. 50 /— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

**विधवा अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र**

मैं पत्नी/पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024** में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित हुआ है।

मेरा विवाह दिनांक को श्री के साथ संपन्न हुआ था, परन्तु मेरे पति का देहान्त दिनांक को हो चुका है (पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न)। भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पति और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है।

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा-पत्र

मैं पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी**
सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित
हुआ है।

पूर्व में मेरा विवाह विच्छेद हो चुका है और भविष्य में जब भी मेरा विवाह होगा तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे / ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थीया जिम्मेदार रहूंगी। मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में विवाह के एक मास के भीतर-भीतर अपने नियंत्रक प्राधिकारी को, अपने पिता, पति और श्वसुर द्वारा हस्ताक्षरित इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः और किसी भी रूप में दहेज नहीं लिया है।

(F.4(2)Karmik/A-III/76 dated 05.01.77)

(नाम-.....)

घोषणा-कर्ता

स्थान:-

दिनांक:-.....

साक्षी

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

विवाह प्रमाण पत्र

अभ्यर्थी(जिनका विवाह 22.05.2006 से पूर्व हुआ हो) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवासी ...
..... शपथ पूर्वक बयान करता
हूँ / करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
..... के साथ संपन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य
विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवासी
..... के साथ दिनांक को राजस्थान राज्य के बाहर संपन्न होने के कारण
पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अविवाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती)

या

मैं तलाक शुदा हूँ (प्रमाण पत्र सलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांकको
संपन्न हुआ था।
दिनांक.....

हस्ताक्षर
शपथ कर्ता

(P.7(3)Karmik/K-II/2006 dated 30.06.2006)

वचनबंध प्रपत्र
(सामान्य कागज पर)

मैं पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती
..... निवासी
.....
.....

वचनबद्ध हूँ कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ / करती हूँ।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

नाम—

स्थान:—

दिनांक:—

संविधान संबंधी प्रतिज्ञा

शपथ पत्र

(सामान्य कागज पर)

मैंपुत्र / पुत्री श्री

रोल नं.है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) हुआ/हुई हूँ।

मैं शपथ पूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ -

मैं शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी। (अतः ईश्वर मेरी सहायता करे)

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:-

दिनांक:-.....

नमुना हस्ताक्षर प्रारूप (सामान्य कागज पर)

अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ लेकर आएंगे।

अभ्यर्थी का नाम :

रोल नंबर :

दस्तावेज सत्यापन की दिनांक, समय एवं दल संख्या :

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु हुई भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध हुआ/हुई हूँ। बोर्ड द्वारा निर्धारित किये गए वाक्य मेरे द्वारा अपनी हस्तलिपि में स्वयं लिख कर प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, बोर्ड द्वारा मेरी हस्तलिपि के इस नमूने को उपयोग किये जाने हेतु मैं सहमत हूँ। मेरी हस्तलिपि निम्न प्रकार है-

हिन्दी प्रारूप (हस्त लिपि में)

मैं(अभ्यर्थी का नाम) पुत्र/पुत्री श्री

(अभ्यर्थी के पिता का नाम) रोल नंबर आवेदन क्रमांक शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं (विज्ञप्ति अनुसार भर्ती परीक्षा का नाम)..... भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता/करती हूँ।

अभ्यर्थी यहां से हिंदी में लिखे

(हस्ताक्षर)

English Performa (In Handwriting)

I (name of candidate) S/o/D/o Shri (father's name of candidate) Roll Number..... Application No..... hereby swear and declare that I fulfil all the eligibility criteria prescribed for recruitment (Name of Recruitment as per advertisement)

Write in English from here

(Signature)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024
(गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र)

विकल्प-पत्र
(सामान्य कागज पर)

मैं.....पुत्र/पुत्री.....
रोल नम्बर..... है। मेरा अंतरिम चयन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती-2024 मे
गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र दोनों सूचियों में हुआ है।
अतः मैं अनन्तिम (Purely Provisional)रूप से
(गैर अनुसूचित क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्र में से कोई एक)में चयन हेतु विकल्प-पत्र प्रस्तुत
कर रहा हूं/रही हूं।

दिनांक

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम:-

पता:-

मोबाइल नम्बर

विधवा/परित्यक्ता अभ्यर्थिया द्वारा पुनर्विवाह किये जाने/नहीं किये जाने के संबंध में फोटोयुक्त
स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र
सामान्य कागज पर

अभ्यर्थिया की
फोटो

मैं पुत्र/पुत्री श्री निवासी

..... शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
सीधी भर्ती-2024 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अनन्तिम (Purely Provisional) रूप से चयनित
हुआ है।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं हुआ है तथा भविष्य में विवाह
होने पर एक माह में विभाग को अवगत करवा दूंगी।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

ATTESTATION FORM

(This format will be used for verification by Police Department)

(Please write in block capital letters)

Coloured
Passport Size
Latest Photo
With
Signature

1.	Name (in full, with aliases, if any) (Please indicate, if you have added or dropped at any stage, any part of your name or surname)		
	Name		
	Surname		
	Roll No.		
	Merit No.		
2.	Present Address (in full i.e. House No. Lane / Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)		
	Village:		
	District: PIN		
3.	Home Address (in full i.e. House No. Lane / Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)		
	Village:		
	District: PIN		
4.	Particulars of places, where you have resided for more than one year during the preceding five year		
	From	To	Residential Address (in full i.e. House No. Lane / Street, Road, Village, Thana, Tehsil, District)
Father's details:			
5.	(a) Name (in full with aliases, if any)		
	(b) Present postal address (if dead, give last address)		
	(c) Permanent Home Address		
	(d) Profession		
	(e) If in service, give Designation & Official address		
6.	(i) Nationality of: -		
	(a) Father	Indian	
	(b) Mother	Indian	
	(c) Husband	Indian	
	(d) Wife	Indian	
	(ii) Place of birth with name of district and state		
	(a) Husband		
	(b) Wife		
7.	(a) Date of birth		Date -----Month-----Year-----
	(b) Present age as on Advertised norm		-----Years-----Months -----Days
	(c) Age at matriculation		-----Years-----Months -----Days
8.	(a) Place of birth, District & State in which it is situated		Place of Birth: District: State:
	(b) District & State to which you belong.		District: State:
9.	(a) State your Religion		
	(b) Are you a member of a Scheduled Caste/ Scheduled Tribe ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name thereof.		

10.	Education Qualification showing places of education with years in School and College since 15 years of age.			
	Name of School / College with full address	Date of entering	Date of leaving	Examination passed
	1. Address:			
	Village			
	District Pin:			
	2. Address:			
	Village			
	District Pin:			
	3. Address:			
	Village			
	District Pin:			
	4. Address:			
	Village			
	District Pin:			
	5. Address:			
Village				
District Pin:				
11.	If you have, at any time been employed, give details:			
	Designation of Post held or description of work.	Period		Full address of the Office, Firm or Institution.
		From	To	
12.	Have you ever been convicted by a Court or any Officer? If the answer is 'Yes' the full particulars of the convictions & the sentences should be given.			
13.	Name of two responsible persons of your locality or two references to whom/you are known.			
	1.			
	2.			

I certify that foregoing information is correct and complete to the best of my knowledge and belief, I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Date.....

Place

Signature of Candidate

(CERTIFICATE TO BE SIGNED BY A GAZETTED OFFICER OR MEMBER OF LEGISLATIVE ASSEMBLY OR OTHER AUTHORITY PRESCRIBED BY THE APPOINTING AUTHORITY)

Certified that I have known Shri/Smt./Kumari.....
S/o/Wife/Daughter of Shrifor the lastyears/months and
that to the best of knowledge and belief the particulars furnished by him/her are correct.

Place

Date

Signature.....

Designation or Status & Address.....

Rubber Stamp.....